संख्या-60/2020/1515/छप्पन-2020-07/2018 TC

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 18 सितम्बर, 2020

विषय: आर0सी0एस0 एयरपोर्ट कानपुर नगर (चकेरी) पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 179/आर०सी०एस०/S-2/2020 दिनांक 29 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या- 227/आर०सी०एस०/S-2/2020 दिनांक 27 अगस्त, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित कानपुर एयरपोर्ट से संचालित उड़ानों के लिए प्रदान की गयी सुरक्षा/ अग्निशमन सेवाओं हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 4,66,49,694/- (रूपए चार करोड़ छाछठ लाख उड़नचास हजार छ: सौ चौरानबे मात्र) के बिल का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	पत्र संख्या	अवधि	भुगतान राशि (रु0)
1.	AAI/KP/154/RCS/2020/75-77 दिनांक 30 अप्रैल, 2020	फरवरी, 2020 - मार्च, 2020	1,81,82,940
2.	AAI/KP/154/RCS/2020/104-106 दिनांक 25 जून, 2020	अप्रैल, 2020 - मई, 2020	1,60,72,573
3.	AAI/KP/154/RCS/2020/107-109 दिनांक 15 जुलाई, 2020	जून, 2020	1,23,94,181
	कुल राशि		4,66,49,694

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(c) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 हवाईअड्डों पर सुरक्षा तथा अग्निशमन सम्बन्धी सेवायें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं।

अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित कानपुर एयरपोर्ट पर प्रदान की गयी सुरक्षा/ अग्निशमन सेवाओं हेतु उक्त विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 4,66,49,694/- (रूपए चार करोड़ छाछठ लाख

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उड़नचास हजार छः सौ चौरानबे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 4,66,49,694/- (रूपए चार करोड़ छाछठ लाख उड़नचास हजार छः सौ चौरानबे मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा ।

V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा ''लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मानक मद 42 अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-908/दस-2020, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

पृ0सं0: 60/2020/1515(1)/छप्पन-2020-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in